उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्या–3549 / सेक–2–पॉच–15–7(55) / 1997
लखनऊ :: दिनांक : 17 दिसम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (षष्ठम् संशोधन) नियमावली, 2011 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल–3 (वेतनमान रू0 15,600–39,100 ग्रेड–पे–7600) के चिकित्साधिकारियों की लेवल–4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड–पे–8700) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 06.06.2012 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–2381 / सेक–2–पांच–12–1(3) / 2010, दिनांक 14.06.2012 द्वारा कुल 577 चिकित्साधिकारियों की पदोन्नति के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2– विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव / ब्राडशीट में डा0 विनोद कुमार (वरिष्ठता क्रमांक–8809) का भी नाम सम्मिलित था। उनके नाम के सम्मुख अभ्युक्ति के कालम में उनके विरूद्ध कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1698 / सेक–2–पांच–07–7(55) / 97, दिनांक 05.04.2007 द्वारा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित होने का उल्लेख होने के कारण तत्समय विभागीय चयन समिति द्वारा डा0 विनोद कुमार की लेवल–3 से लेवल–4 के पद पर पदोन्नति की संस्तुति मुहर बन्द लिफाफे में रखी गयी थी।

3– डा0 विनोद कुमार, परामर्शदाता (चर्मरोग विशेषज्ञ), पं0 कमला पति त्रिपाठी संयुक्त चिकित्सालय, चन्दौली द्वारा लेवल–3 से लेवल–4 के पद पर पदोन्नत किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 01.05.2015, 19.05.2015 एवं 16.10.2015 के क्रम में प्रकरण का परीक्षण किया गया। उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि उक्त अनुशासनिक कार्यवाही दिनांक 05.04.2007 डा0 विनोद कुमार (बालरोग विशेषज्ञ) के विरूद्ध संस्थित की गयी है।

4– फलस्वरूप उक्त अनुशासनिक कार्यवाही दिनांक 05.04.2007 डा0 विनोद कुमार (वरिष्ठता क्रमांक–8809), परामर्शदाता (चर्मरोग विशेषज्ञ) के विरूद्ध संस्थित होना न पाये जाने के दृष्टिगत उनके संयुक्त निदेशक ग्रेड के पद पर पदोन्नति हेतु संस्तुत बन्द लिफाफे को खोलते हुए चयन समिति की संस्तुति के अनुसार उन्हें उनके आसन्न कनिष्ठ डा0 राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा (वरिष्ठता क्रमांक–8813) की पदोन्नति की तिथि 14.06.2012 से लेवल–4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड–पे–8700) के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5– डा0 विनोद कुमार की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या–3549 (1) / सेक–2–पांच–15, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3– निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।
5– अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

6— मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पं0 कमला पति त्रिपाठी संयुक्त चिकित्सालय, चन्दौली।
7— कोषाधिकारी, चन्दौली।
8— डा0 विनोद कुमार, परामर्शदाता (चर्मरोग विशेषज्ञ), पं0 कमला पति त्रिपाठी संयुक्त चिकित्सालय, चन्दौली को इस निर्देश के साथ कि तत्काल योगदान आख्या संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
9— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।